



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1100]
No. 1100]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2005/आश्विन 25, 1927
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2005/ASVINA 25, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2005

का.आ. 1491(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पशु कल्याण बोर्ड के परामर्श पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 32(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2003 में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में,—

(i) डॉ. पी. के. दले, सदस्य के नाम से पहले आए क्रमांक 19 को क्रमांक 19 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(ii) इस प्रकार से पुनः क्रमांकित क्रम संख्या 19 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :

20. डॉ. अनूप भौमिक,
सचिव,
भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्

—सदस्य

21. डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा,
अध्यक्ष, पी.जी.कमेटी,
भारतीय चिकित्सा परिषद्
और डीन, भेषज संकाय
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
महाराष्ट्र।

—सदस्य "

[फा. सं. 25/34/04-ए.डब्ल्यू.डी.]

. देश दीपक वर्मा, सयुक्त सचिव

नोट :—पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोगनार्थ समिति का गठन करते हुए संख्या का. आ. 32(अ), दिनांक 10-1-2003 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसका बाद में सं. का.आ. 599(अ), दिनांक 26-5-2003, सं. का.आ. 955(अ), दिनांक 21-8-2003, सं. का.आ. 69(अ), दिनांक 15-1-2004, सं. का.आ. 85(अ), दिनांक 25-1-2005 के द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2005

S.O. 1491(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act,

1960 (59 of 1960), the Central Government on the advice of the Animal Welfare Board, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Number S.O. 32(E), dated the 10th January, 2003, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

2. In the said notification,

(i) serial number 18 occurring before the name of Dr. P.K. Dave, Member shall be renumbered as serial number 19 thereof, and

(ii) after serial number 19 as so re-numbered and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

- | | |
|---|-----------|
| 20. Dr. Anup Bhaumik
Secretary,
Veterinary Council of India. | — Member |
| 21. Dr. Ved Prakash Mishra
Chairman, PG Committee,
Medical Council of India
and Dean, Faculty of Medicine,
Nagpur University, Nagpur,
Maharashtra. | — Member” |

[F. No. 25/34/04-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note : The notifications constituting the Committee for the purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 32(E) dated 10-1-2003, which was subsequently amended number S.O. 599(E), dated 26-5-2003; S.O. 955(E) dated 21-8-2003; S.O. 69(E) dated 15-1-2004; S.O. 85(E) dated 25-1-2005.